



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वृन्दावन वृत्त,
भूतल हॉल सं0-2 ऑफिस काम्प्लेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ
E-mail: circlevrinda@upavp.com



पत्र सं0- 125

/ M-13 / 06

दिनांक 13/01/26

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-निविदाएं टू-बिड पद्धति पर दिनांक 02.02.2026 को 3:00 बजे तक <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी तकनीकी बिड्स दिनांक 02.02.2026 को अपरान्ह 3:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबन्धित खण्ड का नाम
1.	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम-अनौरा, तहसील-सदर, जनपद लखनऊ में निर्मित 672 नग (G+3) भवनों के क्षेत्र में वाह्य जलापूर्ति के अन्तर्गत राइजिंग मेन 200के0एल0 क्षमता तथा 24.00मी0 स्टेजिंग का शिरोपरि जलाशय एवं 01 पम्प हाउस निर्माण कार्य। (द्वितीय आमन्त्रण)	71.91	1.44	3000.00 + GST (18%)	(टू-बिड) 09 माह	अधि0 अमि0 निर्माण खण्ड लखनऊ-04

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 14.01.2026	निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व निर्धारित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वाँछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-04,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. - 681510110001374 IFSC Code No. BKID0006815 Name of Bank- Bank of India, Subhani Khera, Lucknow.
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 16.01.2026	
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.01.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 02.02.2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक	
बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.01.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे से दिनांक 02.02.2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक	
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 02.02.2026 अपरान्ह 3:30 बजे	
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	तकनीकी बिड के परीक्षणोपरान्त वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर सूचित की जाएगी।	

नियम व शर्तें

- 1- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT के यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।
- 2- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इस निविदा सूचना में अंकित कार्यों के संबंध में संशोधन इत्यादि से संबंधित विवरण/सूचना का प्रकाशन परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> एवं ई-निविदा वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर इन वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर लें।
- 3- परिषद में उपर्युक्त कार्य हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी निविदादाताओं की ही निविदायें मान्य होंगी तथा अन्य निविदादाताओं की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा एवं मदों में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 5- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- 6- निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।
- 7- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 8- निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 9- निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

कमश:-2

- 10- बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान फर्म द्वारा इनवाइस प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- 11- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 12- कार्य करते समय जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिस हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं यातायात डाइवर्जन हेतु आने वाले व्यय को ई-निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करने हेतु शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 13- कार्य हेतु ई-निविदादाता/फर्मों को कार्य होने से पूर्व, कार्य कराते समय एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ई-निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 14- फर्म द्वारा कार्य समाप्ति उपरान्त डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि 03 वर्ष होगी।
- 15- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/MoRTH & CPWD/उ0प्र0 जल निगम/भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आई0एस0 कोड/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- 16- उक्त कार्यों के लिए निविदा प्रपत्र हेतु निविदादाता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) किसी प्रमाणित/प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्गत किया होना आवश्यक है।
- 17- जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा। अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र के अनुरूप होगी। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त शपथ पत्रों को अपलोड करने पर ही ई-निविदा मान्य होगी।
- 18- उक्त कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपभोग की गई सामग्री की समान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र(MMM-11) प्रस्तुत करना होगा जांच के दौरान अवैध/फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी।
- 19- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की साप्ताहिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक सप्ताह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले सप्ताह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 20- शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेंस धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
- (क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
- (ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
- 21- मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 एवं 3451/निविदा/2023 दिनांक 20.10.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों (Below) दर निविदा के मामले में वांछित परफार्मेंस गारन्टी की धनराशि एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- 22- ई-निविदादाता द्वारा दी गयी दरों की वैधता 03 माह होगी। उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप पर Revenue Stamp सहित शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 23- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
- 24- उक्त कार्य हेतु यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण किल्यरेन्स (संबन्धित विभाग से) आदि ई-निविदादाता/फर्म द्वारा अपने व्यय पर प्राप्त किया जाएगा जिस हेतु शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करने पर ई-निविदा मान्य की जाएगी।
- 25- उक्त कार्यों हेतु ई-निविदादाता/फर्मों को कार्य कराते समय वर्तमान में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं (जलापूर्ति/सीवर/विद्युत आपूर्ति) के क्षतिग्रस्त होने पर अपने व्यय पर मरम्मत कराने का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 26- उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 27- उक्त कार्य जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर कराये जाने हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदादाता द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क कर परिषद का सहयोग प्राप्त करके विवाद का निस्तारण कराते हुए समयान्तर्गत कार्य कराये जाने का शपथ-पत्र निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- 28- एन0जी0टी0 सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 29- जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 30- ब्राण्डेड सूची में निर्माण सामग्रियों के एक से अधिक ब्राण्ड होने पर उनमें से प्रयोग हेतु बाण्ड का चयन प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर परिषद की ओर से अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- 31- वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एन0जी0टी0 की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- 32- फिनिशिंग, फर्नीशिंग आदि मदों में परिषद की ब्राण्डेड मटेरियल सूची में कई मेक उपलब्ध होने की दशा में उनमें से प्रयोग हेतु मेक का चयन अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- 33- उक्त सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता जॉच उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य संस्थान से कराये जाने की स्थिति में जॉच पर आने वाला व्यय, सम्बन्धित निविदादाता फर्म के चालू बीजक से किया जायेगा।
- 34- फर्म को Bid Document के अनुसार शिरोपरि जलाशय के निर्माण कार्य का अनुभव अनिवार्य है।
- 35- कार्य के अन्तर्गत स्थल पर मृदा परीक्षण एवं शिरोपति जलाशय का स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार कराकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/आई0आई0टी0 संस्थान से वेट कराना सम्मिलित है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 36- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(प्रमोद कुमार)
अधीक्षक अभियन्ता

पृ0सं0 125

/ M-13 / 06

दिनांक- 13/01/26

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता-अवध विहार/लखनऊ/अयोध्या/बागपत/बुंदेलखण्ड/गाजियाबाद वृत्त/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड/विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-1/2/4/5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सहायक अभियन्ता (तक0), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
- 6- नोटिस बोर्ड।

अधीक्षक अभियन्ता